न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 55 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. ग्राम पंचायत पायला कला जरीये सरपंच ग्राम पंचायत पायला कला		1. लालाराम पुत्र मन्जीराम 2. फुसाराम पुत्र लालाराम 3. भंवराराम पुत्र लालाराम 4. जीयाराम पुत्र लालाराम जाति मेगवाल निवासी निरीयानाडा तहसील सिणधरी 5. राज. राज्य जरीये तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 242 / 2023 बअनवान लालाराम बनाम ग्राम पंचायत पायला कला में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सुरेश सोनी अपीलान्ट अधिवक्ता की तरफ से ब्रीफ हॉल्डर।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—18.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 से 04 ने अधीनस्थ अदालत में एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि प्रार्थीगण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खातेदारी का खेत मौजा पायला कला तहसील सिणधरी खसरा संख्या 816/646, 814/646, 815/646, 813/646 का आया हुआ है। प्रार्थीगण अपने खेत तक पहुंचने हेतु विप्रार्थी के खसरा संख्या 644 रकबा 0.7524 हैक्टयर में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र को दर्ज कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलांटस को तामील करवाए बिना ही अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया जो विध सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांटस के खेत खसरा संख्या 644 में स्वीकृत प्रस्तावित भूमि कभी कोई मार्ग नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश एकतरफा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका तहसीलदार स्वयं द्वारा नहीं देखा जाकर मौका कमिश्नर की शक्तियां आगे भू अभिलेख निरीक्षक को हस्तांतरित कर दी जबकि न्याय का यह सुस्पश्ट मत है कि Delegated power can not be delegate और इस मत अनुसार जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई है वे अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये है जो रेकर्ड पर लिये जाने योग्य ही नहीं है। उतरदाता संख्या 01 से 04 के द्वारा अपीलांट के विरूद्ध आवेदन/कार्यवाही करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिया गया। विधि अनुसार पंचायत के विरूद्ध वाद या कार्यवाही करने से नोटिस दिया जाकर 2 माह समाप्त होने से पूर्व वाद या कार्यवाही नहीं की जायेगी। धारा 109 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम के तहत अपीलांटस को नोटिस नहीं देने के कारण उतरदाता संख्या 01 से 04 का आवेदन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। रेस्पोडेंटगण/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंटस द्वारा अपीलांट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन पर ग्राम विकास अधिकारी से पर्याप्त तामील करवाई गई। हस्तगत अपील को सरपंच द्वारा पेश की गई जबकि पंचायत की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव अपील बाबत लिया गया हो उसकी प्रति पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मजमे आम में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टस/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में बताये रास्ते के विकल्प प्रस्तावित रास्ते से कही अधिक दूरी के है। इसलिए रेस्पोडेंट को उक्त प्रस्तावित रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किया गया। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर प्रकरण को अनावश्यक लंबा किया जा रहा है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की व्यक्तिगत तामील नहीं करवाई गई है। प्रस्तावित रास्ते की मौका रिपोर्ट अपीलांटस की अनुपस्थिति में तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका तहसीलदार स्वयं द्वारा नहीं देखा जाकर मौका कमिश्नर की शक्तियों आगें भू अभिलेख निरीक्षक को हस्तान्तरित कर दी गई जबकि न्याय का यह सुष्प्ट मत है कि Delegated power can not be delegate और इस मत अनुसार जो मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त हुई है वे अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा तैयार किये गये है जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जबकि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना लाजमी था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है। अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसके तहत किसी खातेदार को परेशान तंग नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील को रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 242/2023 बअनवान लालाराम बनाम ग्राम पंचायत पायला कला में पारित आदेश दिनांक 09.07.2024 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर